रही है। पूर्ण योजना आयोग की बैठक आयोजित करने का प्रश्न मध्यावधि मूल्यांकन पूरा होने के बाद ही उठेगा।

बाल श्रम का उन्मूलन

102. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 15 अगस्त, 1994 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने बाल श्रम के उन्मूलन के लिये एक घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश से बाल श्रम का उन्मूलन करने में सफल हो पाई है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जून, 1995 के "संडे आब्जर्वर" में "रूपीज 850 करोड़ फार इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर अनयूटीलाइज्ड फार लैक ऑफ प्लान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) से (ग) जी, हां। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त, 1994 को लाल किले के प्राचीर से यह घोषणा की थी कि अगले 4.5 वर्षों में जोखिमकारी व्यवसायों में लगे हुए 20 लाख बच्चों को कार्य से हटाया जाएगा और उन्हें स्कूल में प्रवेश दिलाया जाएगा। इस घोषणा के अनुसरण में, केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण (एन०ए०ई०सी०एल०) का गठन किया गया है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण ने "बाल श्रमिकों की पहचान करने, उन्हें मुक्त कराने और पुनर्वासित करने" के संबंध में एक परिपत्र अपनाया है। इस परिपत्र को माननीय प्रधान मंत्री जी और केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा सभी राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई के लिए पहले ही अग्रेषित कर दिया गया है। इस परिपत्र में विशेष कर के जोखिमकारी व्यवसायों में बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए सभी प्रकार की अपेक्षित कार्रवाई शामिल की गई है। संक्षेप में, इसके तहत बाल श्रम उन्मूलन संबंध प्रयास को प्रभावकारी ढ़ग से कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की सेवाओं और योजनाओं को कार्यान्वयन स्तर—जिला स्तर पर अभिसारित करने की अपेक्षा की गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) प्रस्ताव है कि सन् 2000 तक 20 लाख बाल श्रमिकों का जोखिमकारी व्यवसायों से उन्मूलन किया जाएगा। अनुमान है कि इस प्रयोजन के लिए 850 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता होगी। कार्य से हटाए गए बालकों के लिए परियोजनाएं चलाने के लिए चालू वर्ष हेतु 34.4 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। नई दिल्ली में बाल श्रम की सर्वोच्च घटनाओं वाले 100 जिलाधीशों को एक कार्यशाला 13-14 सितम्बर, 1995 को आयोजित की जानी है। संबंधित जिलाधीशों से अनुरोध किया गया है कि वे राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के आधार पर अपने-अपने जिलों के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार करें। इस योजना के अन्तर्गत कार्य से हटाए गए बालकों को विशेष स्कूलों के माध्यम से प्राइमरी स्तर की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणहार और वृत्तिकाएं प्रदान की जाएंगी।

असंगठित क्षेत्र के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि

103. **श्री राम जेठमलानी:**
श्री सुषमा स्वराज:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जुलाई, 1995 के दैनिक "हिन्दुस्तान" में "अनऑरगेनाइज्ड सैक्टर्स कन्ट्रीब्यूट मोर टू एम्पलोयमेंट ग्रोथ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करने की अधिक क्षमता है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि असंगठित क्षेत्र में आमश्रमिक की स्थिति दयनीय भी है; और

(ङ) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) (क) जी, हां।

(ख) असंगठित क्षेत्र, जिसमें अन्यों के साथ-साथ कृषिय और निर्माण क्रियाकलाप शामिल हैं, में कुल

रोजगार का लगभग 90% रोजगार है और सामान्यतः असंगठित क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार बढ़ने की सम्भावना है।

(ग) और (घ) "असंगठित" शब्द से किसी विशिष्ट श्रेणी की आशय नहीं है अपितु इसके अंतर्गत वे सभी श्रमिक आते हैं जिनमें अपने सदस्यों की संख्या (जो या तो बहुत अधिक होती है या बहुत कम) होने, अपने दूरवर्ती और अलग-अलग स्थलों पर कार्य-स्थल होने, और शिक्षा, जागरूकता और व्यवसाय संघ के क्रियाकलापों की कमी होने के कारण संगठन नहीं होता। अतः संगठित और असंगठित श्रमिकों की कार्य की दशाओं के मध्य तुलना करना कठिन है। अधिकांश श्रम विधान समस्त श्रमजीवी वर्ग पर विस्तारित हैं जिसमें असंगठित श्रमिक भी शामिल हैं। जहां औपचारिक विधान संभव नहीं हैं वहां केन्द्रीय/राज्य सरकारें द्वारा संचालित कल्याण योजनाओं को विस्तारित किया गया है।

(ङ) सरकार श्रम ब्यूरो के माध्यम से विशिष्टतः कृषिय श्रम, रोजगार, बेरोजगार, औसत दैनिक उपार्जन घरेलू आय, व्यय और ऋणग्रस्तता के बारे में आवधिक रूप से कृषियग्रामीण श्रम पूछ ताछ करती रही है, जिसने घरेलू नौकरों, रिक्शा चालकों, बीड़ी श्रमिकों, होज़री श्रमिकों, कालीन विनिर्माता और अगरबत्ती उद्योग, ब्रिक क्लिन श्रमिकों आदि की कामकाजी और रहन-सहन की दशाओं पर बहुत से क्षेत्र,विशिष्ट तदर्थ सर्वेक्षण किए हैं।

अन्न भण्डारण की सुविधा

104. श्री नरेश यादव: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खाद्यान्न उत्पादन के अनुपात से खाद्यान्न के भंडारण की पर्याप्त क्षमता विद्यमान है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार विभिन्न राज्यों में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या सरकार बिहार के जनजातियों क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण करने का विचार रखती है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) भारतीय खाद्य निगम की खाद्यान्नों की भण्डारण क्षमता संबंधी समूची आवश्यकताएं सीधे उत्पादन से नहीं जुड़ी हुई हैं बल्कि खाद्यान्नों के उच्चतम स्तर की वसूली और निगम के पास रखे स्टाक से सम्बद्ध हैं। 1.6.1995 को स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखे खाद्यान्न स्टाक और भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भण्डारण क्षमता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

(लाख मीटरी टन में)

	ढकी हुई कवर और प्लिंथ (कैप)		जोड़
क्षमता	231.52	54.27	285.79
खाद्यान्नों का स्टाक	190.32	40.60	230.92

अतः भारतीय खाद्य निगम की वर्तमान भण्डारण क्षमता मैक्रो स्तर पर उपलब्ध स्टाक को रखने के लिए पर्याप्त है। तथापि, केन्द्रीय खाते पर वसूल किए गए स्टाक को रखने के लिए कुछ वसूली क्षेत्रों, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में समस्याएं हो जाती हैं। ऐसा मुख्य रूप से इस कारण होता है कि वसूल किए गए स्टाक को उपभोक्ता क्षेत्रों में वितरित करने के लिए पर्याप्त वैगन उपलब्ध नहीं होते जहां कि रिक्त स्थान उपलब्ध होता है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम प्रत्येक वर्ष अपनी भण्डारण क्षमता में वृद्धि कर रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992—97) के दौरान इसने, 6.6 लाख मीटरी टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता निर्मित करने का प्रस्ताव किया है जिसमें से इसने पहले ही 3.14 लाख मीटरी टन क्षमता का निर्माण कर लिया है। निगम का प्रस्ताव है कि वर्ष 1995-96 के दौरान देश में 1.43 लाख मीटरी टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण किया जाएं।

(ग) भारतीय खाद्य निगम का वर्तमान वर्ष 1995-96 के दौरान बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम का प्रस्ताव, केन्द्रीय भण्डारण निगम/राज्य भण्डारण निगम से दुमका, जामतारा, सिमडेगा, लातेहर और गुमला क्षेत्रों में स्थित गोदामों (क्षमता) को किराए पर लेने का है बशर्ते इन स्थानों पर गोदाम उपलब्ध हों।